



# कमिश्नरेट वाराणसी



## प्रेस नोट

दिनांक- 12-12-2025

“ऑपरेशन कनविकशन”

थाना- कैण्ट

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ० नि० अधि०) न्यायालय संख्या- 04 वाराणसी द्वारा 01 अभियुक्त जितेन्द्र कुमार राम एवं 01 अभियुक्ता फूलमति में प्रत्येक को **आजीवन कारावास एवं 4000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविकशन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना कैण्ट में पंजीकृत मु०अ०सं० 0531/2021 धारा 498(ए),304(बी) भा.द.वि. व 3/4 D.P. Act में आज दिनांक 12.12.2025 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ० नि० अधि०) न्यायालय संख्या- 04 वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर 01 अभियुक्त जितेन्द्र कुमार राम पुत्र चन्द्रदेव राम एवं 01 अभियुक्ता फूलमति पत्नी चन्द्रदेव राम निवासी गण चौरा थाना नरही जनपद बलिया हालपता खजुरी कालोनी थाना कैण्ट वाराणसी में प्रत्येक को **आजीवन कारावास एवं 4000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



श्री संतोष तिवारी  
ADGC वाराणसी



श्री रत्नेश्वर सिंह,  
तत्कालीन क्षेत्राधिकारी  
कैण्ट (विवेचक)



का० आसिफ,  
पैरोकार थाना कैण्ट



हे०का० राजनारायण  
यादव, कोर्ट मोहरीर